उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या-**6/2024/**362/94-स्टा0नि0-2-2024-700(08)/2024
लखनऊ, दिनांक 15 मार्च, 2024

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के अधीन, उत्तर प्रदेश सेमी कण्डक्टर नीति 2024 के प्रस्तर-6.1.4 के उपबंधों के अनुसार उक्त नीति के प्रस्तर 4.2 के उपप्रस्तर 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 में यथावर्णित पात्र परियोजनाओं हेतु नीचे अनुसूची के स्तम्भ 4 में दर्शित लिखत के सम्बन्ध में, प्रभार्य **स्टाम्प शुल्क** में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान करतीं हैं-

उत्तर प्रदेश सेमी कण्डक्टर नीति 2024	**विवरण एवं ब्यौरे**	**छूट की सीमा**	**लिखत की प्रकृति**
1	**2**	**3**	**4**
प्रस्तर-6.1.4	नीति के उपप्रस्तर 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 में यथा वर्णित नीचे उल्लिखित परियोजनाओं के लिये- सेमी कण्डक्टर फैब्स की स्थापना, डिस्प्ले फैब्स की स्थापना, कम्पाउण्ड सेमी कण्डक्टर, सिलिकॉन फोटो सेन्सर फैब्स, सेमी कण्डक्टर असेम्बली परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग/ओ0एस0टी0 सुविधाओं, ऐसी कोई अन्य समान परियोजना, जो भूमि के क्रय अथवा पट्टा पर इसे लेने पर भारत सरकार द्वारा संशोधित या प्रस्तावित की जा रही है।	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड–(क) के अधीन हस्तान्तरण एवं अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा।

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन होगी:-

1- इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी, यदि सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंन्द्र, लिखत पर यह पुष्टि करें कि उक्त विलेख, का निष्पादन उत्तर प्रदेश सेमी कण्डक्टर नीति 2024 के अधीन किया जा रहा है और उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में वह हस्ताक्षर भी करेगा।

2- स्टाम्प शुल्क छूट के समतुल्य धनराशि सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में अप्रतिसंहरणीय बैंक प्रत्याभूति, ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, बैंक प्रत्याभूति की विधि मान्यता अवधि अन्यून 5 वर्ष होनी चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष तक प्रवृत्त रहेंगे। यदि किन्ही कारणों से उक्त नीति निरस्त की जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन छूट उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहृत समझी जायेगी।

4- अधिसूचित उपबन्धों का क्रियान्वयन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 31-3-2023 के विद्यमान प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/2024/362(1)/94-स्टा0नि0-2-2024, तददिनांक।

हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस दिनांक **15 मार्च, 2024** के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या-6/2024/362(2)/94-स्टा0नि0-2-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार महालेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- स्टाफ आफसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. **6/2024/**362/94-S.R.-2-2024-700(08)/2024, dated 15 March, 2024

Notification
Order

No. **6/2024/**362/94-S.R.-2-2024-700 (08)/2024
Lucknow : Dated 15 March, 2024

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit the **stamp duty**, under this notification, chargeable in respect of the instrument shown in Column-4 of the Schedule below, in accordance with the provisions of para 6.1.4 of the **Uttar Pradesh Semi Conductor Policy 2024,** to the eligible projects as described in sub-paragraph-4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 of paragraph-4.2 of the said policy, to the extent mentioned in column-3 of the table below:-

SCHEDULE

Uttar Pradesh Semi Conductor Policy 2024	**Descriptions and Details**	**Extent of Remission**	**Nature of Instruments**
1	**2**	**3**	**4**
Para-6.1.4	To the below mentioned projects as described in sub-paragraph-4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 of the policy- Establishment of Semi Conductor Fabs, Establishment of Display Fabs, Compound Semi Conductor, Silicon Photo Sensor Fabs, Semi Conductor Assembly Testing, Marking and Packaging/OST Facilities, any other similar projects which is being amended or proposed by the Government of India, on purchasing land or taking it on lease.	100%	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 of the Schedule 1(B), Indian Stamp Act, 1899

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

The aforesaid exemption under this notification shall be subject to the following terms and conditions:-

1- The exemption of the notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, district industries centre, of the concerned district shall confirm in the instrument that the said deed is being executed under the **Uttar Pradesh Semi Conductor Policy 2024,** and also sign as a witness for the said purpose.

2- Irrevocable Bank Guarantee of the amount equivalent to the remission of **stamp duty** in favour of the District Magistrate of the concerned district shall be presented before the registration officers at the time of the registration of such deed. The validity period of the bank guarantee should not be less than 5 years.

3- The provisions mentioned in this notification will remain in force for 5 years from the date of the commencement of the policy. In case the said policy comes to end, by any means, the remittance under this notification shall be considered to be revoked by itself from the date of the withdrawal of the said policy.

4- The implementation of the notified provisions shall be done according to the extant procedural guidelines of the G.O. dated 31-03-2023 issued by the Stamp and Registration Department.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanad

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।